न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/110
मिसल नम्बर– 37 / 2024

1.दाखादेवी उर्फ शकुन्तला पत्नी राधेश्याम वैष्णव आयु 63 वर्ष जाति बैरागी
2. राधेश्याम वैष्णव पुत्र जगन्नाथ आयु 70 वर्ष, जाति बैरागी, निवासी म.नं. 2 वी 2 महावीर नगर 3 कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.सोनम वैष्णव पत्नी पंकज वैष्णव पुत्री राजेन्द्र वैष्णव आयु 30 वर्ष
2.पंकज वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव आयु 36 जाति बैरागी निवासी गण म.नं. 2 वी 2 महावीर नगर 3 कोटा
3.रोहित वैष्णव पुत्र राजेन्द्र वैष्णव निवासी ग्राम बिचालस, तहसील अटरू जिला बांरा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/12/24

उपस्थितिः–

1.श्री सुरेश वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री राहुल सोनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कोटा शहर के कानून की पालना करने वाले शांति प्रिय वरिष्ठ नागरिक है तथा अभियुक्त कम 1 प्रार्थीगण की पुत्रवधु, कम 2 पुत्र तथा अभियुक्त कम 3, अभियुक्ता कम 1 का भाई है। प्राथीगण वृद्धजन माता पिता है जिनके पास आय का कोई जरिया नही है और उक्त मकान के कमरों के किराये से अर्जित आय से ही अपना गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी कम 2 मण्डाना सीएचसी में सैकण्ड ग्रेड–मेल नर्स के पद पर कार्यरत है और प्रतिमाह वेतन से 20 हजार रूपये प्राप्त करता है। प्रार्थीगण के पुत्र का विवाह फरवरी 2014 में अप्रार्थीया कम 1 के साथ सम्पन्न होने के बाद से ही अप्रार्थी कम 1 व 2, प्रार्थी कम 1 के नाम एवं स्वामित्व वाले मकान के तृतीयतल पर बने दो कमरों में निवास करने लगे जिसके बदले में प्रार्थी कम 2 उक्त कमरों का किराया 10 हजार रूपये मासिक प्रार्थी कम 2 को कुछ समय देता रहा, तत्पश्चात् जिसे एक दो माह बाद देना बंद कर दिया और अप्रार्थीया कम 1 विभिन्न तरीकों से प्रार्थीगण को मानसिक रूप से प्रताडित करने लगी। आये दिन के लडाई झगडों से मानसिक रूप से परेशान होकर अप्रार्थीगण ने वर्ष 2016 में अपना निवास स्थान किराये पर लेकर अन्यत्र रहना प्रारम्भ कर दिया। दिसम्बर 2017 में अप्रार्थी कम 2 ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पीछे से उक्त मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरों में रहना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थीया व उसके पति ने अप्रार्थीगण के व्यवहार में परिवर्तन की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण का उक्त मकान में रहना सहन किया। किन्तु अप्रार्थी कम 1 व 2 का व्यवहार प्रार्थीया व उसके पति के प्रति सही नही रहा। इसी कम में प्रार्थीया को परेशान करने की नीयत से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जानबूझकर अपने छत पर बने चौक जाल से बर्तनों को गिराना, पानी फेंकना, कपडों को नीचे डाल देना, आये दिन गाली गलोंच करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थीया चूंकि बीपी की मरीज है व प्रार्थी कम 2 दिल के मरीज है इसको जानते हुए भी अप्रार्थीया कम 1 पूरे समय तेज आवाज में म्युजिक सिस्टम या टेप चलाती है जिससे प्रार्थीया कम 1 व 2 को असहनीय पीड़ा होती है। दिनांक 16–09–2022 को प्रातः लगभग 11 बजे अप्रार्थीया कम 1 द्वारा लाईट व नल बेवजह चालू रखकर घूमने चले जाने की बात से व्यथित होकर शिकायत की तो अप्रार्थीया कम 1 ने तीसरी मंजिल की सीढियों से छज्जे पर खडी प्रार्थीया कम 1 पर गमला फेका, जिससे प्रार्थीया ने देखते हुए एक दम हटकर अपनी जान बचायी, जिसके उपरान्त अप्रार्थीया कम 1 ने प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलोंच एवं मारपीट करने लगी और देवी देवता अनाने लगी। उक्त घटना के समय अप्रार्थया कम 2 भी अप्रार्थीया कम 1 का साथ देने लगा। तत्पश्चात् दोपहर करीब 1.00 बजे जब प्रार्थीया के पति घर आये तो अप्रार्थीया क्रम 1 ने कहा कि तेरी लुगाई को समझा लेना, नही तो इसे जान से मार दूंगी फिर मत कहना कि मैने कहा नही। प्रार्थीया द्वारा तब अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर अप्रार्थीगण को समझाया गया तब अप्रार्थीया कम 1 ने कहा कि मेरे पिता के पास काफी धन है वे सरपंच है। मेरा भाई रोहित गुंडा है जिसे सब जानते है, उससे कहकर तुम्हें गोली मरवा दूंगी और तेरे पति को झूठे केस में फंसा दूंगी इससे पूर्व भी अप्रार्थीया कम 3, जो अप्रार्थीया कम 1 का सगा भाई है दो तीन बार प्रार्थीया के घर आकर धमकी देकर गया कि मेरी बहन के थोड़ा भी पसीना आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 2 से कई बार शांति से रहने की बात कहने पर वह भी आग बबूला होकर, अप्रार्थी कम 1 का ही पक्ष लेते हुए प्रार्थीगण के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। इस पर प्रार्थी कम 2 द्वारा एक शिकायत थाना महावीर नगर, कोटा में दी गई तो पुलिस द्वारा की गई कार्यवही के भय से अप्रार्थी कम 2, अप्रार्थी कम 1 को लेकर मण्डाना सीएचसी में मिली हुई सरकारी क्वार्टर में रहने लग गया किन्तु एक दो माह रहने के उपरान्त ही अप्रार्थीगण द्वारा वापस लौट आये और उक्त कमरों मे जबरदस्ती कब्जा कर रहने लगे, जिससे प्रार्थीगण को उक्त कमरे के किराये की राशि लगभग 10 हजार रूपये से भी वंचित होना पड़ा जिसके लिये अप्रार्थी कम 2 ने भरण पोषण के रूप में 10 हजार रूपये मासिक देने का आश्वासन दिया था, से भी मेहरूम होना पड़ा। वाद कारण दिनांक 22–04–2024 को जब प्रार्थीया कम 1 अकेली घर पर थी तो कूलर ठीक करने वाला इलेक्ट्रीशियन घर पर आया तो अप्रार्थीया क्रम 1 ने प्रार्थी कम 2 के लिये अपशब्द कहे और प्रार्थी कम 2 पर लट्ठ लेकर मारने का झूठा इल्जाम लांछन लगाया। प्राथीगण द्वारा कई बार अप्रार्थीया कम 1 के पिता को समझाने के लिये बुलवाया गया लेकिन वह एक बार भी नही आये। अप्रार्थीया कम 1, प्रार्थीया पर पत्थर चप्पल फेंकती है जिसके कारण प्रार्थीया क्रम 1 डर के मारे पति के बगेर उपर भी नही जा पाती है। प्रार्थीया व उसके पति जो सीनियर सिटीजन व वृद्ध है, को अप्रार्थीया कम 1, 2 व उसके भाई अभियुक्त कम 3 से जानमाल का पूर्ण अंदेशा है, जिसके लिये अभियुक्त कम 1 व 2 को प्रार्थीगण के मकान से पुलिस सहायता प्रदान कर निकाल कर उपर बने कमरों के कब्जे के अन्तरण को शुन्य मानते हुए प्रत्यावर्तित कराया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा